


"श्री"

श्री (एच.के.) जायसवाल  
श्री. राजिवरकर (आ.वि. 12/6/01)  
को प्रस्तुत

राजस्व भंडाल- गुवालिपूर म. प्र.  
श्रीमान मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी & ~~आ.वि. नं. 12/6/01~~ इंदौर प्र.  
के सम्म

के सम्म A-1755-PBR/2001

अपील/रिवीजन नं 0 /2001



बैंक आफ इण्डिया,  
शाखा- सांटा बाजार, इंदौर म0 प्र0

विरुद्ध

अपीलार्थी

श्री सुबीर जायसवाल  
श्री. जगदीश कुमार सिंह  
13.9.2001 को इंदौर  
कोर्ट पर प्रस्तुत  
रेस्पॉण्डेंट

म0 प्र0 शासन,  
द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प,  
मोती तबेला, इंदौर म0 प्र0


अपील धारा 56 भारतीय स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत

13.9.2001  
श्री 32

अपीलार्थी का नमू निवेदन है कि :-

0. यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प इंदौर म0 प्र0 के द्वारा प्र0 क्रमांक 1430/क्ले आ स्टा / 2001 में दिनांक 22.5.2001 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बंधक सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन के पृष्ठांकन के आवेदन दिनांक 9.5.2001 को अपास्त पुनः स्टाम्प शुल्क रुपये 28,000-00 जमा करने का आदेश से अतन्तुष्ट होकर अपीलार्थी यह अपील/ रिवीजन निम्न तथा अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है।

*Amor*  
*AN*



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1755-पीबीआर/2001

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

15-07-15

अपीलार्थी अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित ।  
प्रत्यर्थी शासन की ओर से श्री एच0के0अग्रवाल पेनल लॉयर  
उपस्थित । अपीलार्थी अधिवक्ता व अपीलार्थी को तीन बार  
पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदकपक्ष क ओर से कोई  
उपस्थित नहीं हुआ । बाद पुकार प्रकरण आवेदकपक्ष की  
अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।



  
अध्यक्ष